न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :– संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या :– 123/2011
दायर दिनांक :– 03.10.2011
निर्णय दिनांक :– 27.02.2023

उनवान

1. गोविन्दी पत्नि छीतर जाति भीणा निवासी गेटोलाव रोड दौसा जिला दौसा।
2. महेश पुत्र छीतर जाति भीणा निवासी गेटोलाव रोड दौसा जिला दौसा।
3. राधाकिशन पुत्र मरदाना जाति भीणा निवासी गेटोलाव रोड दौसा जिला दौसा।
4. दाखा पुत्री जुवान्या जाति भीणा निवासी गेटोलाव रोड दौसा जिला दौसा।
5. जगदीश पुत्र राधेश्याम जाति भीणा निवासी गेटोलाव रोड दौसा जिला दौसा।
6. नारायणी पुत्री जुवान्या जाति भीणा निवासी गेटोलाव रोड दौसा जिला दौसा।
7. प्रेम देवी पत्नि कैलाशचन्द जाति मीणा निवासी गेटोलाव रोड दौसा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर, दौसा।
2. नगर पालिका मण्डल दौसा जरिए अधिशाषी अभियन्ता नगर पालिका दौसा ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितः– 1. प्रार्थीगण की ओर से – श्री विनोद कुमार विजय, एडवोकेट।

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा 123/2011

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया गया है कि वाके कस्बा दौसा में स्थित कृषि भूमि साविक खसरा नम्बर 1038 रकबा 4 बीघा 2 विस्वा प्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 6 के बुजुर्ग मरदाना पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी। उक्त भूमि के सैटलमेन्ट के दौरान नम्बर बदलकर नये खसरा नम्बर 2798 रकबा 0.38 है0, 2799 रकबा 0.22 है0, 2793 रकबा 0.30 है0, 2792 रकबा 0.04 है0, 2795 रकबा 0.08 है0 कायम किये गये। उक्त भूमि में से सैटलमेन्ट में खसरा नम्बर 2798, 2799, 2793 की खातेदारी तो मरदाना के वारिसान के नाम लगा दी,

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

किन्तु सैटलमेन्ट विभाग ने गलत तरीके से कानून के विपरीत जाकर उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 2795 रकबा 0.08 है0, 2792 रकबा 0.04 है0 को गलत तरीके से सरकारी भूमि के रूप में दर्ज कर दिया। जिसकी प्रार्थीगण को कतई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी गोविन्दी व छीतर ने भूमि खसरा नम्बर 2793, 2798, 2799 का अपना हिस्सा प्रार्थीनी प्रेम को विक्रय करके कब्जा सम्भला दिया। खसरा नम्बर 2792 व 2795 पर प्रार्थी दाखा के पुत्र रमेश का बाडा बना हुआ है और उक्त भूमि पर मौके पर प्रार्थीगण काबिज है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के बुजुर्ग मरदाना की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि साबिक खसरा नम्बर 1038 का भाग है, किन्तु सैटलमेन्ट विभाग ने गलत तरीके से उक्त भूमि को राजकीय भूमि के रूप में दर्ज कर दिया, जिसकी प्रार्थीगण को कतई जानकारी नहीं थी और उक्त भूमि को सैटलमेन्ट विभाग गलत रूप से राजकीय भूमि के रूप में दर्ज कर देने के कारण जिला कलक्टर दौसा ने दिनांक 06.06.2011 को अप्रार्थी नम्बर 2 को हस्तान्तरण करने का आदेश पारित कर दिया, जिसकी प्रार्थीगण को कतई जानकारी नहीं थी। दिनांक 11.08.2011 को पटवारी हल्का दौसा कलां ने प्रार्थी दाखा के पुत्र रमेश को धमकी दी कि तुमने रिकार्ड में दर्ज सरकारी भूमि खसरा नम्बर 2792 व 2795 पर बाडा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। या तो उक्त भूमि को खाली कर देना अन्यथा पुलिस लाकर खाली करवाएगे। तब रमेश ने उक्त भूमि व प्रार्थीगण की अन्य भूमियों की नकलें ली तो जानकारी हुई कि सैटलमेन्ट विभाग ने प्रार्थीगण के बुजुर्गो की खातेदारी भूमि से बने वर्तमान खसरा नम्बर 2792 व 2795 को गलत तरीके से सरकारी भूमि के रूप में दर्ज कर दिया। अतः बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा करना लाजिम आया व अधिघोषणा कराना व अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना एवं दुरूस्ती कराना आवश्यक हो गया। उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस प्रमाणित है। सुविधा संतुलन की तुला भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि उक्त प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करें कि वाद पत्र के अंतिम निस्तारण तक वाके कस्बा दौसा में स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 2795 रकबा 0.08 है0, 2792 रकबा 0.04 है0 के कब्जे प्रार्थीगण में अप्रार्थीगण स्वयं अपने एजेन्टों, नौकरों, रिश्तेदारों को कोई दखल नहीं पहुंचावे एवं उक्त भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीयान का कोई रकबा कम नहीं किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 2792, 2795 राजकीय सिवाय चक भूमि है, जो नगर पालिका को हस्तान्तरित कर दी गई है। दाखा देवी या रमेश का उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है। मरदाना का उक्त भूमि से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। जिला कलक्टर ने दिनांक 06.06.2011 को उक्त सिवाय चक भूमि नगर पालिका को हस्तान्तरित कर दी है। उक्त आदेश विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। प्रार्थीनी गोविन्दी देवी ने जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 06.06.2011 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के न्यायालय में अपील की थी, जो दिनांक 30.06.2016 को खारिज कर दी गई।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

आदेश दिनांक 06.06.2011 यथावत रखा गया है। भूमि नगर पालिका के स्वामित्व व कब्जे में है। यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उसे हटाने का नगर पालिका को धारा 245 के तहत विधिक अधिकार प्राप्त है। रमेश वाद व प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं है। प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्ट्या केस नहीं है। प्रथम दृष्ट्या केस अप्रार्थी का साबित है। सुविधा संतुलन की तुला भी प्रार्थीयान के बजाय अप्रार्थी के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थी की बजाय अप्रार्थी को ही अपूर्णीय क्षति होगी। अतः जवाब मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया है।

पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि हाल खसरा नम्बर 2795, 2792 को गलत तरीके से सरकारी भूमि दर्ज करना बता रहे हैं, जो पूर्णतः गलत है। उक्त खसरा नम्बर के साबिक खसरा नम्बर 1035 है, जो मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041–60 अनुसार है, जो कि भू–प्रबन्ध से पूर्व भी सिवाय चक भूमि ही रहा है। अतः वाद खारिज योग्य है। किसी प्रकार का कोई स्थगन आदि ना दिया जावे।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण की ओर से बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित बातों को दोहराया तथा कथन किया गया कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार हैः–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 2792 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा नम्बर 2795 रकबा 0.08 है0 को सैटलमेन्ट विभाग ने कानून के विपरीत जाकर गलत तरीके से सरकारी भूमि के रूप में दर्ज कर दिया। इस संबंध में नकल जमाबंदी सम्वत् 2064–2067 ग्राम दौसा कलां का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट रूप से सावित है कि उक्त दोनों खसरा नम्बर सरकारी भूमि है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2041–2060 के अनुसार खसरा नम्बर 2792 एवं 2795 साबिक खसरा नम्बर 1035 मिन से बने है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2032–2035 ग्राम दौसा कलां के अनुसार साविक खसरा नम्बर 1035 भी सरकारी भूमि थी। अतः सैटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रार्थीगण की भूमि को गलत तरीके से सरकारी भूमि के रूप में दर्ज करने का प्रार्थीगण का कथन सही नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि तो पूर्व से ही सरकारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। जहॉ तक प्रार्थीगण के समग्र क्षेत्र का प्रश्न है, जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 के अनुसार प्रार्थीगण के नाम भूमि साबिक खसरा नम्बर 1009 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 1030 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1038 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड थी एवं जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 2741 रकबा 0.49 है0, 2742 रकबा 0.83 है0, 2743 रकबा 0.22 है0, 2744 रकबा 0.13 है0, 2748 रकबा 0.27 है0, 2749 रकबा 0.20 है0, 2785 रकबा 0.34 है0, 2793 रकबा 0.30 है0, 2798 रकबा 0.38 है0, 2799 रकबा 0.22 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 3.38 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार प्रार्थीगण के समग्र क्षेत्र में कोई कमी नहीं हुई है।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

प्रार्थीगण अपना पक्ष साबित करने में विफल रहे है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन :— प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया है कि वादग्रस्त खसरा नम्बर 2792 रकबा 0.04 है0 एवं खसरा नम्बर 2795 रकबा 0.08 है0 को सैटलमेन्ट विभाग ने कानून के विपरीत जाकर गलत तरीके से सरकारी भूमि के रूप में दर्ज कर दिया, जबकि इस तथ्य को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य/सबूत उनकी ओर से पेश नहीं किये गये है। आयुक्त नगर परिषद दौसा ने अवगत कराया है कि प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि होने के कारण जिला कलक्टर ने दिनांक 06.06.2011 को उक्त सिवाय चक भूमि नगर पालिका को हस्तान्तरित कर दी है। उक्त आदेश विधि सम्मत रूप से पारित किया गया है। प्रार्थीनी गोविन्दी देवी ने जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 06.06.2011 के विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के न्यायालय में अपील की थी, जो दिनांक 30.06.2016 को खारिज कर दी गई। आदेश दिनांक 06.06.2011 यथावत रखा गया है। भूमि नगर पालिका के स्वामित्व व कब्जे में है। चूँकि प्रश्नगत भूमि पूर्व से ही सरकारी भूमि है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को असुविधा होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

3. अपूर्णीय क्षतिः— प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसमें उनका नाम खातेदार के रूप में अंकित हो। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। अतः प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
दौसा (राज.)